काउन्सलिंग हेतु दिशा–निर्देश

फार्मासिस्ट ग्रेड–2, नेत्र सहायक, ओ.टी.टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एवं कांउन्सलर के पद पर नियुक्ति एवं आवंटन हेतु निम्नानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

1. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा वर्ष 2025 के परीक्षा परिणामों के संबंध में जारी मैरिट सूची ही प्रथम कांउसलिंग की चयन सूची होगी।
2. यह काउंसलिंग एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से की जावेगी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 600+जी.एस.टी. ऑनलाईन देय होगा।
3. मैरिट सूची के समस्त अभ्यार्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दिये गये मोबाईल पर मेसैज के माध्यम से अथवा ई–मेल पर प्रदाय की जायेगी।
4. मेरिट सूची के ऐसे संविदा अभ्यार्थियों (जो पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है अथवा अन्य विभाग में कार्यरत है) की अनुभव एवं वरियता के आधार पर उनको उसी जिले में अथवा उनके द्वारा चयनित जिलों की वरियता कम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन एम.पी.ऑनलाईन द्वारा किया जायेगा ।
5. यदि कोई अपात्र अभ्यार्थी "संविदाकर्मी" के रूप में पंजीयन करता है तथा दस्तावेज परीक्षण में वह संविदाकर्मी मान्य नहीं होता है तो ऐसे अभ्यार्थी की किसी भी वर्ग सेवा हेतु पात्रता पूर्णतः निरस्त की जाएगी ।
6. मेरिट सूची (चयन सूची) के शेष अभ्यार्थियों को मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दिये गये जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन एम.पी. ऑनलाईन द्वारा किया जायेगा।
7. यदि किसी अभ्यार्थी का चयन एक से अधिक पदों के लिए हुआ है, तो ऐसे अभ्यार्थियों को सभी पदों हेतु पृथक– पृथक Choice Filling करनी होगी ।
8. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling दिनांक 22.12.2025 से 02.01.2026 तक की जा सकेगी ।
9. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling के समय अपनी पसंद अनुसार (रिक्त पद अनुसार) वर्गवार समस्त जिलों की वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा ।
10. Choice Filling करने के बाद सबमिट किये जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
11. अभ्यार्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जावेगी।
12. प्रथम काउंसलिंग में अभ्यार्थी को आवंटित जिला अंतिम होगा। ऐसे अभ्यार्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते है अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुये इन पदों को रिक्त माना जावेगा।

13. ओ.टी.टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट एवं कांउसलर पद के अभ्यार्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा तथा फार्मासिस्ट ग्रेड–2 पद के अभ्यार्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा।
14. यदि काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति MPESB द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से द्वितीय काउंसलिंग द्वारा की जावेगी।
15. द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यार्थियों के नामों पर विचार श्रेणी में लिया जावेगा जो ESB द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची (द्वितीय कांउसलिंग की चयन सूची) में होंगे अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित हो चुके हैं (भले ही वे दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अथवा अपात्र घोषित किये गयें हों) उन्हें द्वितीय कांउसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । प्रथम काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित अभ्यार्थी भी द्वितीय कांउसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे ।
16. द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिला भी अंतिम होगा ।
17. क्षेत्रीय संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची, नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे ।
18. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।
19. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा ।
20. काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश समय–समय पर आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यार्थियों हेतु **वेबसाईट** health.mp.gov.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे, तत्संबंध में विभागीय वेबसाईट चयनित अभ्यार्थी चेक करते रहें ।

संचालक (अविज्ञप्त)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
मध्य प्रदेश